पक्षकारान उपस्थित
बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली
दिनांक 30/8/19 को पेश हो।

30/8/2019

पक्षकारान उपस्थित
बहस के तर्कों पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभार्थी राजूराम द्वारा इसी न्यायालय में बटवारा का दावा पेश कर रखा है। राजूराम द्वारा दौराने वाद अभार्थी सं० 02 व 07 के बैयान धारा 52 T.P. Act. के तहत वर्जित है। अतः अगर स्थगन आदेश हटाया जाता है तो अभार्थीगण और बैयान कर सकते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अतः दिनांक 03/07/2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को इस वाद तक के लिए (स्थगित) किया जाता है। पत्रावली इस वाद के साथ संलग्न हो। पत्रावली मौजूदा शुमार रेकर्ड दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner